फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री प्रेमसिंह राजपूत** विपक्षी :– **राज्य**

किस्म मुकदमा :– 136 एलआरएक्ट पत्रावली संख्या :– **193/25 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :– **2025/603**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 07.10.2025 पत्रावली प्रार्थी के आवेदन पर तहसीलदार द्वारा तैयार कर प्रस्तुत करने पर पेश हुई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया की राजस्व रेकार्ड में मेरे पिता के नाम भीमसिंह की जगह सेहवन दादाजी का नाम तख्तसिंह अंकित कर दिया गया। जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशनकार्ड की फोटोप्रति, वोटर आईडी की फोटोप्रति, आधार कार्ड की प्रति, प्रार्थी स्वयं का 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र एवं सहखातेदार सपियार कुंवर, हमेरसिंह के शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जिनसे जाहीर आया की प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के पिता का नाम तख्तसिंह नही होकर भीमसिंह है। इसी प्रकार एक सहखातेदार सपियार कुंवर के पति का नाम तख्तसिंह नही होकर भीमसिंह है। नामान्तरकरण संख्या 812 का अवलोकन करने से जाहीर आया की भीमसिंह पिता तख्तसिंह का निधन होने के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण पारित किया गया। विरासत का नामान्तरकरण पारित वर्तमान खातेदार प्रेमसिंह, हमेरसिंह, कैलाश कुंवर, पुष्पा कुंवर पिता तख्तसिंह एवं सपियार कुंवर पत्नी तख्तसिंह अंकित किया गया, जबकि विरासत का नामान्तरकरण भीमसिंह पिता तख्तसिंह का निधन होने से पारित किया गया था। इस कारण से इनके पिता/पति का नाम तख्तसिंह नही होकर भीमसिंह था। उक्त त्रूटि राजस्व कर्मचारियो द्वारा विरासत का नामान्तरकरण पारित करते समय की गई है। उसके पश्चात जमाबंदी में भी उसी अनुसार अंकन कर दिया गया। जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:01 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विशनपुरा पटवार हल्का लदानी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 121 पर दर्ज आराजीयात भूमि में खातेदार का नाम कैलाशकुंवर पुत्र तख्तसिंह, प्रेमसिंह पुत्र तख्तसिंह, पुष्पाकुंवर पुत्र तख्तसिंह, सपियार कुंवर पत्नी तख्तसिंह, हमेरसिंह पुत्र तख्तसिंह अंकित है, के बजाय कैलाशकुंवर पुत्र भीमसिंह, प्रेमसिंह पुत्र भीमसिंह, पुष्पाकुंवर पुत्र भीमसिंह, सपियार कुंवर पत्नी भीमसिंह, हमेरसिंह पुत्र भीमसिंह संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:01 IST
Reason: SelfAttested